फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पवनकुमार आदि बनाम बाधुदेवी व अन्य
किस्म मुकदमा:–212 आरटीए प्रकरण संख्या:– 101/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.07.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थी संख्या 01 व 2 के दादा, प्रार्थी संख्या 3 के ससुर अप्रार्थी संख्या 1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता स्व0 भागनाथ पुत्र मोतीनाथ जाति नाथ के नाम के वाके चक 43 एस.टी.जी.–I के खाता संख्या 66 नया 67 पुराना मु0न0 31 के प0नं0 4/371 के कि0नं0 6 ता 8, 13 ता 15 में 1.518 है0 भूमि नाली दोयम मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के दादा श्री भागनाथ का दिनांक 10.07.2019 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण स्व0 श्री भागनाथ के वारिसान अप्रार्थी संख्या 5 सुरेन्द्रकुमार की संताने है। अप्रार्थी संख्या 05 ने कभी भी प्रार्थीगण के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नही किया है व हमेशा से शराब आदि पीने का अभ्यसत रहा है। प्रार्थीगण की माता के खाने के लिय भोजन भी नही देता था। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के दादा ने कई बार अप्रार्थी संख्या 5 को समझाया लेकिन उस पर कोई असर नही हुआ। प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी संख्या 3 के ससूर ने हम प्रार्थीगण के रोटी पानी के लिये अपने जीवनकाल में ही दिनांक 29.11.2011 को एक लिखित घेरूलू बंटवारा करते हुए वाके चक 43 एसटीजी–I नाली में कुए के पास बीच वाला हिस्सा कुल 2.00 बीघा खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की माता प्रार्थी संख्या 3 के नाम की थी। प्रार्थीगण अपनी माता प्रार्थीया नं0 3 के नाम की उक्त वर्णित 2.00 भूमि में स्वयं का 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहते है। प्रार्थीया के पति अप्रार्थी संख्या 05 प्रार्थीया व प्रार्थीया की संतानो के प्रति लापरवाह है। प्रार्थीया अपने संतानो को साथ में लेकर अप्रार्थी संख्या 05 के गांव गये तथा जैरवाद रकबा प्रार्थीया के नाम करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 5 स्पष्ट इन्कारी हो गया तथा कहा कि जैरवाद रकबा मेरे पिता के नाम है इसमें से 1 ईंच भूमि नही दूंगा व रकबा किसी अन्य को बेचना कर दूंगा। यदि दावा के निर्णय से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 5 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिये अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक पाबंद किया किया जावे कि वाके चक 43 एस.टी.जी.–I के खाता संख्या 66 नया 67 पुराना मु0न0 31 के प0नं0 4/371 के कि0नं0 6 ता 8, 13 ता 15 में 1.518 है0 भूमि नाली दोयम मय खाला भूमि में से प्रार्थीया को 2.00 बीघा का दावा के निर्णय तक रहन, बैय, हस्तान्तरण न करे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1–4–5 ने तर्क किया कि उक्त रकबा उनके पति/पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण को कोई हक प्राप्त नही होता है। प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार वाके चक 43 एस.टी.जी.–I के खाता संख्या 66 नया 67 पुराना मु0न0 31 के प0नं0 4/371 के कि0नं0 6 ता 8, 13 ता 15 में 1.518 है0 भूमि नाली दोयम मय खाला भागनाथ वल्द मोतीनाथ के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में बंटवारानामा की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें घेरूलू बंटवारा अनुसार प्रार्थीया संख्या 3 को 02.00 बीघा भूमि दी हुई है, जो कि नोटेरी से तस्दीकशुदा है। जैरवाद भूमि के खातेदार भागनाथ के 05 जायज वारिसान है। अतः जैरवाद भूमि के 1/5 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा को रहन बैय एवं अन्य तरीके से हस्तातंरण न करने का दावा के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर जैरवाद भूमि के 1/5 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा को रहन बैय एवं अन्य तरीके से हस्तातंरण न करने की अस्थाई निषेधाज्ञा दावा के निर्णय तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 17:06:14 IST
Reason: SelfAttested